राजस्व आवेदन संख्या 417/2025
उनवान चतरसिंह वगैरा बनाम माना वगैरा
निर्णय दिनांक 23.03.2026

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी श्री बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस)

राजस्व आवेदन सं. 417/2025

अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. चतरसिंह पुत्र मुकनसिंह 2. कुम्पसिंह पुत्र बांकसिंह जातियान राजपूत, निवासीगण सालारिया, तहसील सेडवा, जिला बाडमेर।		1. माना पुत्र भैरा 2. नरसीगा पुत्र भैरा जातियान जाट, निवासीगण कुन्दनपुरा, तहसील सेडवा, जिला बाडमेर। 3. इंद्रसिंह पुत्र बांकसिंह जाति राजपूत, निवासी सालारिया, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर। 4. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सेडवा जिला बाडमेर।

उपस्थित :प्रार्थीगण वकील –श्री आम्बाराम पूनड़

विप्रार्थी संख्या 01 से 03 के वकील– घेवरराम देवासी

–: निर्णय :–

दिनांकः–23.03.2026

प्रार्थीगण चतरसिंह पुत्र मुकनसिंह जाति राजपूत, निवासी सालारिया, तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर वगैरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि ''प्रार्थीगण के खेत ग्राम–आदर्श सालारिया, पटवार हल्का सालारिया भू.अ.नि.क्षे. सेड़वा, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर के मुल खसरा नम्बर 164 में से प्रार्थीगण का नव सृजित खसरा नम्बर 498/164 रकबा 7.7214 हैक्टेयर किस्म बा. सोयम व विप्रार्थीगण का खसरा नम्बर 499/164 रकबा 7.7214 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम के आये हुऐ है जिस प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण की रहवासी ढाणी, टांके, कृषि कुआ, पशुबाड़े आदि बने हुऐ हैं। उक्त खसरा की नकल चालू जमाबन्दी व नक्शा संलग्न है। प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण ने मुल खसरा नम्बर 164 में से रजिस्ट्री के जरिये बेचान भूमि प्रार्थीगण का नव सृजित खसरा नम्बर 498/164 रकबा 7.7214 हैक्टेयर किस्म बा. सोयम व विप्रार्थीगण का खसरा नम्बर 499/164 रकबा 7.7214 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम खरीदी थी, उक्त खरीदशुदा भूमि की रजिस्ट्री में प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को

उक्त खरीदसुदा भूमि में कब्जा देते समय प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के कब्जे की भूमि के सेढा पाडौसीयों के नाम अंकित करवाकर प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण उक्त खरीद सुदा भूमि में कब्जा दिलाया था, तथा रजिस्ट्री के अनुसार मौके पर प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण वर्षो से उक्त खरीद सुदा भूमि का उपभोग उपयोग करते आ रहे हैं जिस पर प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण की रहवासीय ढाणी पशुबाडे व टांके बने हुऐ हैं जिस कारण वर्तमान में प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण अलग अलग खसरा नम्बर व अलग अलग कब्जा काश्त हैं तथा अलग अलग भूमि की तरमीम भी की हुई हैं। प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के खेतो की बीच तरमीम भी हुई हैं परन्तु लट्ठा ट्रेस में की गई तरमीम व मौके पर मौजुद कब्जा काश्त में भारी अन्तर हैं तथा रजिस्ट्री में दर्शाए गये प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के सेढा पाडौसी अलग हैं इस प्रकार राजस्व कर्मचारियों ने वादग्रस्त भूमि की मौके की जांच किये बिना एंव पक्षकारान के कब्जा काश्त के अनुसार तरमीम नही की गयी। प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण का मौके पर कब्जा काश्त सलंग्न परिशिष्ट "अ" में दर्शाय अनुसार व रजिस्ट्री में दर्शाए गए कब्जे के अनुसार हैं तथा इसी अनुसार राजस्व अधिकारीयों को प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण की तरमीम करनी थी परन्तु राजस्व अधिकारीयों ने मौके पर न जाकर तथा मौके की जांच किये बिना गलत तरमीम कर दी हैं, जिसे प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण उक्त गलत तरमीम को दुरस्त करवाने के विधिक अधिकारी हैं। सलंग्न परिशिष्ट "अ" को प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग व अंश समझा जावें। राजस्व अधिकारीयों व कर्मचारियों द्धारा लट्ठा ट्रेस में तरमीम रजिस्ट्री में दर्शाए गये कब्जे के अनुसार व मौके पर मौजुद कब्जा काश्त के अनुसार नही करके गलत (अशुद्ध) तरमीम कर दी गई अर्थात लट्ठा ट्रेस की तरमीम व वादग्रस्त खेतों के मौके के कब्जा काश्त की स्थिति में भारी भिन्नता हैं इसलिए प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण मौके पर अपने खेत की कब्जा काश्त अनुसार तरमीम शुद्धिकरण करवाना चाहते हैं, जिस हेतु यह तरमीम शुद्धि का प्रार्थना पत्र पेश हैं। प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण का रजिस्ट्री में दर्शाए गये कब्जे काश्त के अनुसार व मौके पर सलंग्न परिशिष्ट "अ" में दर्शाये अनुसार प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है परन्तु वादग्रस्त खेतो की मौके पर कब्जा काश्त की जांच किये बिना ही लट्ठा ट्रेस में गलत तरमीम कर दी गई जो मौके पर वर्तमान कब्जा काश्त के अनुसार नही की गई हैं। इसलिए प्रार्थीगण व

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:42:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

विप्रार्थीगण मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार लट्ठा ट्रेस में सही तरमीम करवाना चाहते हैं। वर्तमान में प्रार्थीगण की भूमि की लट्ठा ट्रेस में गलत तरमीम अंकन होने से प्रार्थीगण को अपनी भूमि पर के.सी.सी. लोन लेने के लिए भारी असुविधा होती हैं तथा प्रार्थीगण को अपने भूमि को उपजाउ बनाने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हैं। उक्त त्रृटि को दुरस्त कराने का प्रार्थीगण हकदार होने से प्रार्थना पत्र तरमीम दुरस्ती का पेश हैं। खसरा नम्बर 499/164 रकब 7.7214 हैक्टेयर में प्रार्थी संख्या 02 का 70/477 हिस्सा हैं यह प्रार्थी होने के कारण इसी प्रकरण में विप्रार्थी पक्षकार नहीं बनाया गया हैं क्योंकि प्रार्थी संख्या 02 पहले से पक्षकार हैं इसलिए विप्रार्थी पक्षकार बनाने की कोई आवश्यकता नहीं हैं।अतः प्रार्थना पत्र मयं शपथपत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम–आदर्श सालारिया, पटवार हल्का सालारिया भू.अ.नि.क्षे. सेड़वा, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर के मुल खसरा नम्बर 164 में से प्रार्थीगण का नव सृजित खसरा नम्बर 498/164 रकबा 7.7214 हैक्टेयर किस्म बा. सोयम व विप्रार्थीगण का खसरा नम्बर 499/164 रकबा 7.7214 हैक्टेयर किस्म बा.सोयमकी लट्ठा ट्रेस में की गई अशुद्ध व गलत तरमीम को दुरूस्त कर मौके पर कब्जेकाश्त, ढाणी, मांठ अनुसार लट्ठा ट्रेस सही तरमीम संलग्न परिशिष्ट ''अ'' के अनुसार दुरूस्त (शुद्धिकरण) करवाने का आदेश तहसीलदार सेड़वा के नाम जारी फरमावें।''

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थी संख्या 01 से 03 की ओर से अधिवक्ता श्री घेवरराम देवासी ने वकालतनामा पेश किया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार सेड़वा से न्यायालय के आदेश क्रमांक कार्ट/2025/2248 दिनांक 30.12.2025 द्वारा तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन के लिए लिखा गया। कार्यालय तहसीलदार सेड़वा के पत्रांकः भू.अ./2026/09 दिनांक 16.02.2026 द्वारा न्यायालय को तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। मुताबिक तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन " **दिनांक 05.01.2026 को मौके पर उपस्थित प्रार्थी, विप्रार्थीगण व मौतबरानों के रूबरु मौका देखा गया एवं रेकर्ड से मिलान किया गया। ग्राम आदर्श सालारिया के खसरा नम्बर 499/164 रकबा 7.7214 हैक्टेयर भूमि खातेदार कुम्पसिंह पुत्र बाकसिंह [illegible] 1/2 चतरसिंह पुत्र मुकन सिंह**

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:42:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

1/2 कौम राजपूत सा० देह के नाम रेकर्ड में दर्ज है एवं खसरा सं० 499/164 रकबा 7.7214 हैक्टेयर भूमि इन्द्रसिंह पुत्र बांकसिंह हिस्सा 100/477 व कुम्पसिंह पुत्र बांकसिंह हिस्सा 70/477 कौम राजपूत, नरसींगा पुत्र भेरा 1/2, माना पुत्र भेरा हिस्सा 137/954 कौम जाट सा० कुन्दनपुरा के नाम रेकर्ड में खातेदारी दर्ज है उक्त आराजी भूमि का नामान्तरण दर्ज करते वक्त तरमीम गलत दर्ज हो गई तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा मौके पर कब्जाकाश्त, रहवासी ढाणियां, ट्युबवेल अनुसार तरमीम को रेकर्ड में दर्ज नहीं हुई। वर्तमान में मौके पर कब्जाकारत और रेकर्ड में तरमीम में भिन्नता हैं। अब उपर्युक्त आराजी के खातेदार आपसी सहमति से मौके अनुसार तरमीम करवाना चाहते हैं। प्रार्थीगण की भूमि का कब्जाकाश्त रहवासी ढाणियां, ट्युबवेल को संलग्न नक्शे में अंकित परिशिष्ट "ब" में बरंग लाल से दर्शित किया गया हैएवं विप्रार्थीगण के कब्जाकाश्त रहवासी ढाणियों को परिशिष्ट "ब" में बरंग हरा रंग से दर्शित किया गया हैं। अतः संलग्न नक्शे में दर्शित परिशिष्ट "ब" अनुसार प्रस्तावित तरमीम दुरुस्ती किया जाना उचित हैं। संलग्न नक्शा मौका फर्द का अभिन्न अंग है। मौका फर्द मौके पर बनाई जाकर उपस्थित के हस्ताक्षर/अंगुठा निशान अंकित करवाये गये"

उभयपक्षकारान् अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा सक्षम दस्तावेजी साक्ष्यों पर उभयपक्षकारान् अधिवक्ता ने बहस की। उभयपक्षकारान् अधिवक्ता ने बहस में तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त मौका रिपोर्ट को स्वीकार किया है। उभयपक्षकारान् अधिवक्ता की बहस पर न्यायालय द्वारा स्वस्थचित्त से मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा सक्षम दस्तावेजी साक्ष्यों पर न्यायालय द्वारा युक्तियुक्त चिन्तन, मनन तथा विचारण उपरांत, प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 417/2025 उनवान चतरसिंह वगैरा बनाम माना वगैरा अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

अतः मुताबिक तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक जांच प्रतिवेदन अनुसार तहसील सेड़वा के पटवार मण्डल सालारिया ग्राम आदर्श सालारिया के खसरा संख्या 498/164 रकबा 7–7214 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम खसरा संख्या 498/164 रकबा 7–7214 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम की तरमीम तहसीलदार सेड़वा द्वारा मौका रिपोर्ट के संलग्न प्रस्तावित परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरुस्ती किया जाना उचित है। न्यायालय

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:42:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

राजस्व आवेदन संख्या 417/2025
उनवान चतरसिंह वगैरा बनाम माना वगैरा
निर्णय दिनांक 23.03.2026

द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों, तथ्यों तथा तहसीलदार सेड़वा के तथ्यात्मक जांच प्रतिवेदन पर युक्तियुक्त विचारण के उपरांत जांच प्रतिवेदन में दर्शित परिशिष्ट 'ब' अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम दुरुस्त करने का आदेश दिया जाता हैं। तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन(पत्रांकः भू.अ./2026/09 दिनांक 16.02.2026 के संलग्न मौका जांच प्रतिवेदन दिनांक 05.01.2026, परिशिष्ट 'ब', खसरा नक्शा व जमाबंदी अभिलेख आदि) निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार सेड़वा को आदेशित किया जाता है कि वह तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करें। तहरीर जारी हो। पत्रावली संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.03.2026 को खुले इजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा
सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा
(बद्रीनारायण, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:42:15 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार (भू अ.) सेड़वा जिला बाड़मेर

क्रमांक/भूअ./2026/09 दिनांक 16.02.2026

प्रेपित:- श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय सेड़वा
जिला बाड़मेर

विषय :- राजस्व वाद संख्या 417/2025 अनवान चतरसिंह बनाम माना वगैरा अंतर्गत धारा 131, 136 RLR एक्ट में तरमीम दुरूस्ती की रिपोर्ट भेजने बाबत् ।

प्रसंग :- श्रीमान जी का आदेश क्रमांक/कोर्ट/2025/2248 दिनांक 30.12.2025 के क्रम में

महोदय जी,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आप द्वारा राजस्व वाद संख्या 417/2025 अनवान चतरसिंह बनाम माना वगैरा अंतर्गत धारा 131, 136 RLR एक्ट में मौजा आदर्श सालारिया के खसरा संख्या व 499/164 व 498/164 की तरमीम दुरूस्ती हेतु तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई थी जिसकी भू -अभिलेख निरीक्षक सेड़वा द्वारा दिनांक 05.01.2026 को मौका जांच कर वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज पड़ोसियों मौतबरानों सहखातेदारों के रूबरू आपसी सहमति व कब्जा कास्त अनुसार जांच रिपोर्ट तैयार की गई जो इस पत्रांक के संलग्न श्रीमान जी की सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्न – उपरोक्तानुसार

भवदीय

16.02.2026

तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

प्रदर्श बाटे

मौका फर्द

आज दिनांक 05/01/2026 को श्रीमान तहसीलदार महोदय सेड़वा के आदेश क्रमांक/रा.अ/2280 दि० 31/12/2025 एवं माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा के राजस्व आवेदन सं. 417/2025 अनवान चतरसिंह वगैरा बनाम माना वगैरा अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR Act में ग्राम आदर्श सालारिया के खसरा नं. 498/164 व 499/164 की तरमीम दुरुस्ती की तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करने हेतु मौके पर आया।

मौके पर उपस्थित प्रार्थी, अप्रार्थी व मौतबरानों के रुबरु मौका देखा गया एवं रेकर्ड से मिलान किया गया। ग्राम आदर्श सालारिया के खसरा सं० 498/164 रकबा 7.7214 हेक्ट भूमि खातेदार कुम्पासिंह पुत्र बांकसिंह 1/2 चतरसिंह पुत्र मुकनसिंह 1/2 कौम राजपूत सा० देह के नाम रेकर्ड मे दर्ज है एवं खसरा सं० 499/164 रकबा 7.7214 हे० भूमि इन्द्रासिंह पुत्र बांकसिंह दि० 100/477 कुम्पासिंह पुत्र बांकासिंह दि० 70/477 कौम राजपूत नरसींगा पुत्र भेरा 1/2 माना पुत्र भेरा दि 137/954 कौम जाट सा० कुन्दनपुरा के नाम रेकर्ड मे खातेदारी दर्ज है उक्त आराजी भूमि का नामान्तरण दर्ज करते वक्त तरमीम गलत दर्ज हो गई तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा मौके पर कब्जाकाश्त, रहवासी ढाणियां, ट्युबवेल अनुसार तरमीम को रेकर्ड मे दर्ज नही हुई वर्तमान मे मौके पर कब्जाकाश्त और ~~मौके~~ रेकर्ड मे तरमीम मे भिन्नता है। अब उपरोक्त आराजी के खातेदार आपसी सहमति मौके अनुसार तरमीम करवाना चाहते है।

प्रार्थी की भूमि का कब्जाकाश्त रहवासी ढाणियां, ट्युबवेल को संलग्न नक्शे मे अंकित परिशिष्ट 'ब' मे बरंग लाल से दर्शित किया गया है, एवं विपक्षीगण के कब्जाकाश्त, रहवासी ढाणियां को परिशिष्ट 'ब' मे बरंग हरा रंग से दर्शित किया गया है।

अतः संलग्न नक्शा में दर्शित परिशिष्ट 'ब' अनुसार प्रस्तावित तरमीम दुरुस्ती किया जाना उचित है।

संलग्न नक्शा मौका फर्द का अभिन्न अंग है।

मौका फर्द मौके पर बनाई जाकर उपस्थित के हस्ताक्षर/अ.नि. अंकित करवाये गये।

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:42:15 IST
Reason: SelfAttested

(हस्ताक्षर) 05/01/26

वसाराम
भू अभिलेख निरीक्षक
वृत्त.....सेड़वा.....तह. सेड़वा

अ.नि. नरसींगाराम

अ.नि. मानाराम

अ.नि. डिपसिंह

चतरसिंह

इन्द्रसिंह

नव्वाराम

मौजा आदर्श सालारिया
पंचा. सालारिया

प्रदर्श क्र 2

परिशिष्ट 'अ' **वर्तमान तरमीम**

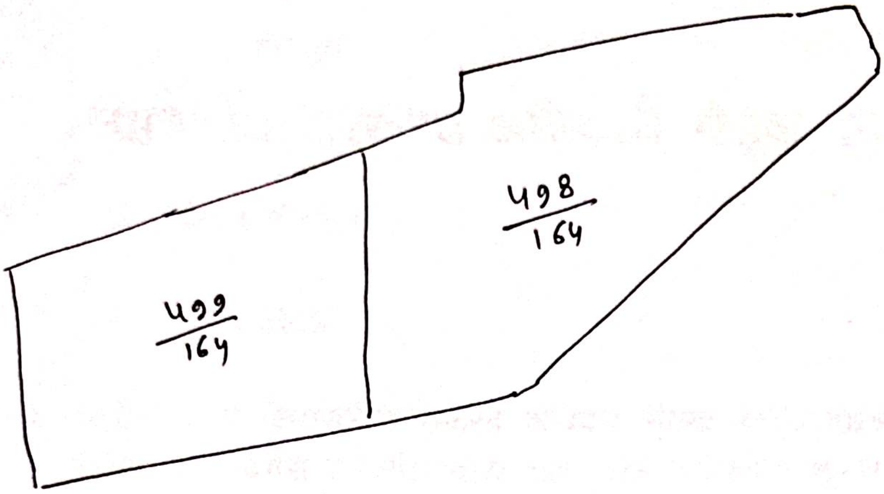

SDO सेड़वा
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

परिशिष्ट 'ब'

आपसी सहमति, कब्जाकाश्त, रहवासी ढाणियां अनुसार प्रस्तावित तरमीम दुरुस्ती

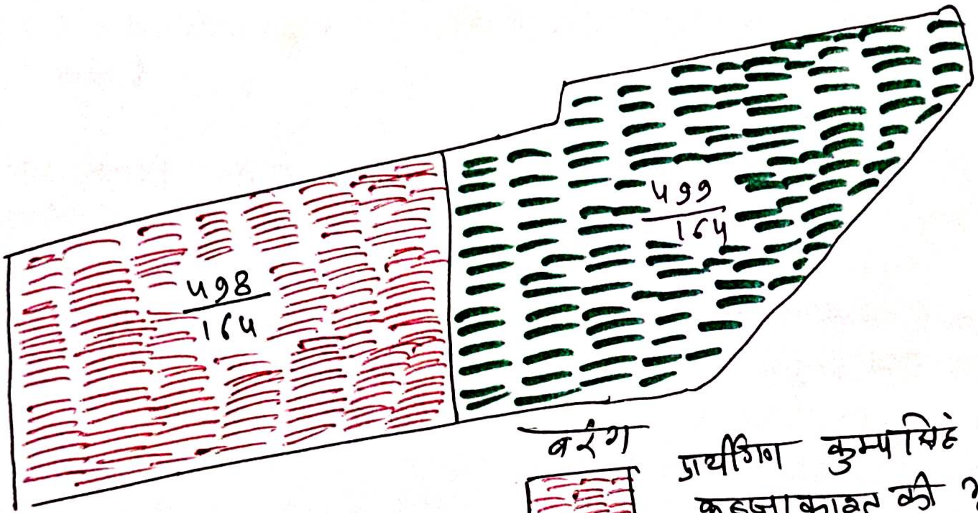

बरंग

लाल 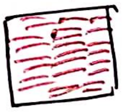 प्रार्थीगण कुम्पसिंह व चतरसिंह के कब्जाकाश्त की भूमि

हरा 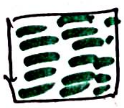 विप्रार्थीगण इन्द्रसिंह कुम्पसिंह पि. बांकासिंह व नरसीगा माना पुत्र जैसा के हिस्से व कब्जाकाश्त भूमि

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:42:15 IST
Reason: SelfAttested

05/01/2026
वसाराम
भू अभिलेख निरीक्षक
वृत्त सेड़वा तह. सेड़वा

अं.नि. नरसीगाराम

चतरसिंह

अं.नि. कुम्पसिंह अं.नि. मानाराम

इन्द्रसिंह चम्पाराम